न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
235/2018	16–08–2018	07/04/21

उनवान

01. सलोनी उम्र करीब 12 साल पुत्री श्री हितेश जाति अहीर निवासी खुशखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) नाबा0 जरिये सरपरस्त माता खुद बनीता पत्नि हितेश जाति अहीर निवासी खुशखेडा तह0 तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीनि

बनाम

01. हितेश उम्र करीब 30 साल पुत्र श्री विजयसिंह जाति अहीर निवासी खुशखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. सब रजिस्ट्रार तिजारा जिला अलवर
03. सब रजिस्ट्रार टपूकडा तह0 तिजारा जिला अलवर

————:: असल प्रतिवादीगण

04. कृष्णा उम्र 52 साल बेवा विजयसिंह जाति अहीर निवासी खुशखेडा तह0 तिजारा जिला अलवर
05. बबली उम्र 35 साल पुत्री विजयसिंह पत्नी श्री सरजीत जाति अहीर निवासी हाल माजरा महनिया तह0 तिजारा जिला अलवर
06. शुभलता उम्र 33 साल पुत्री श्री विजयसिंह पत्नी श्री विजयसिंह जाति अहीर निवासी हाल भाण्डोर की ढाणी रेवाडी हरियाणा
07. सुमन उम्र करीब 29 साल पुत्री विजयसिंह पत्नी श्री अजयसिंह जाति अहीर निवासी हाल भाण्डोर की ढाणी रेवाडी हरियाणा
08. नितिन उम्र 35 साल पुत्र श्री विजयसिंह जाति अहीर निवासी खुशखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर

————:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 255 रकबा 0.0500 है0, 256 रकबा 0.1300 है0, 257 रकबा 0.5300 है0, 262 रकबा 0.0100 है0, 348 रकबा 0.0500 है0, 358 रकबा 0.0400 है0, 369 रकबा 0.1800 है0, 374 रकबा 0.1300 है0 किता 8 कुल रकबा 1.1200 है0 सालिम, 368 रकबा 0.3500 है0 में से 3366.22 वर्गमीटर, 447/233 रकबा 0.2000 है0 सालिम स्थित ग्राम खुशखेडा तहसील तिजारा, 95 रकबा 0.75 है0 सालिम, 128 रकबा 0.3300 है सालिम, 130

रकबा 0.9200 है0 में से 1/9 भाग वाके ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर, 459 रकबा 0.8400 है0 में से 0.3100 है0, 452 रकबा 0.5200 है0 में से 0.14 है0, 453 रकबा 1.1900 है0, 455 रकबा 0.1800 है0, 471 रकबा 0.2200 है0 किता 3 कुल रकबा 1.6900 है0 सालिम, 451 रकबा 0.7300 है0 में से 0.4800 है0, 454 रकबा 0.6700 है0 सालिम, 457 रकबा 0.4400 है0 में से 0.09 है0, 460 रकबा 0.1400 है0 सालिम, 470 रकबा 0.1800 है0 में से 1/4 दर 0.14 है0 वाके ग्राम कलगांव तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित है।

विवादित आराजी खसरा नम्बरान मिन वादियां के दादा श्री विजयसिंह पुत्र श्री भूपसिंह जाति अहीर साकिन खुशखेडा तहसील तिजारा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, कि जिन खसरा नम्बरान में से विवादित आराजी मिन वादियां के दादा श्री विजयसिंह की मृत्यु के बाद विरासत में मिन वादियां व प्रति0 1 एवं तरतीबी प्रति0 को समान समान भाग में विरासत से प्राप्त हुई है। जिस पर हम शामलात में हिस्सा अनुसार काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी मिन वादियां की दादालाई आराजी (एन्सेस्टरल प्रापर्टी)है जिस आराजीयात में वादियां के हक हकूक बाई बर्थ निहित है तथा विवादित आराजी को वादियां व प्रतिवादी संख्या 1 अपने 1/6 भाग पर समान समान भाग में तथा तरतीबी प्रतिवादी प्रति0 5/6 भाग पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है जिस आराजी में वादियां के जन्म से ही हकूक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि मिन वादियां का सगा पिता है तथा कर्ता परिवार रहा है जिसके रेखा पत्नि गुरमुख पुत्री मुर्शीराम जट सिक्ख साकिन सन्तोष कॉलोनी धारूहेडा के साथ नाजायज सम्बन्ध है तथा प्रतिवादी संख्या 1 रेखा के बहकावे में आकर बिना परिवार की जरूरत के विवादित आराजी के 1/6 भाग को खिलाफ कानून खिलाफ मौका गैर कानूनी रूप से दीगर व्यक्तियों को विक्रय करना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से दस्तावेज पंजिबद्ध कराना चाहता है जिसका कोई कानुनी अधिकार प्रति0 संख्या 1 को हासिल नहीं है। चूंकि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में अभी मिन वादियां के मरहूम दादा श्री विजयसिंह जी के नाम से ही चली आ रही है। अतः मिन वादियां स्वयं को विवादित आराजी की 1/12 भाग की काविज काश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराने व इसी कदर से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के हकदार है। जिसके लिए दावा इस्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती दायर करना लाजिम आया है। यदि वाकई प्रतिवादीगण असल अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब हो गये तो वादियां को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा हकूक वादियां पर आवरण छा जावेगा वादियां को अपनी दादालाई आराजी के उपयोग उपभोग से बेजा महरूम होना पड जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए वादियां प्रतिवादीगण असल को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पावन्द कराने की हकदार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित है एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली दिनांक 03.12.2019 को वादियां उपस्थित नहीं होने के कारण वाद खारिज किया गया। तत्पश्चात वादियां की तरफ से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया। वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कलगावं आराजी खसरा नम्बर 460 के स्थान पर 480 सहवन से दर्ज हो गया है जिसे शुद्व किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 480 के स्थान पर 460 पढा जावें। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

ा। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति दी की वादियां को विवादित आराजी में उसका हिस्सा दे दिया जावें।
दियां अधिवक्ता द्वारा बहस कर वाद को निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वादियां की बहस पर मनन किया। वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया
ाता है।

अतः वाद वादियां डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 255 रकबा 0.0500 है0, 256 रकबा
.1300 है0, 257 रकबा 0.5300 है0, 262 रकबा 0.0100 है0, 348 रकबा 0.0500 है0, 358 रकबा 0.0400 है0, 369
कबा 0.1800 है0, 374 रकबा 0.1300 है0 किता 8 कुल रकबा 1.1200 है0 सालिम, 368 रकबा 0.3500 है0 में से
366.22 वर्गमीटर, 447/233 रकबा 0.2000 है0 सालिम स्थित ग्राम खुशखेडा तहसील तिजारा, 95 रकबा 0.75 है0
ालिम, 128 रकबा 0.3300 है सालिम, 130 रकबा 0.9200 है0 में से 1/9 भाग वाके ग्राम महेशरा तहसील तिजारा
जिला अलवर, 459 रकबा 0.6100 है0 में से 0.3100 है0, 452 रकबा 0.5200 है0 में से 0.14 है0, 453 रकबा 1.1900
0, 455 रकबा 0.1800 है0, 471 रकबा 0.2200 है0 किता 3 कुल रकबा 1.5900 है0 सालिम, 451 रकबा 0.7300
0 में से 0.4800 है0, 454 रकबा 0.4700 है0 सालिम, 457 रकबा 0.4400 है0 में से 0.09 है0, 460 रकबा 0.1400
0 सालिम, 470 रकबा 0.1600 है0 में से 1/4 दर 0.14 है0 वाके ग्राम कलगांव तहसील तिजारा जिला अलवर में
े 1/12 भाग की आराजी वादियां के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी नं0 1 वादियां के
ब्जा काश्त मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा
डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

07/04/21

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)